भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1540

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

21 माघ, 1942 (शक)

अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड

1540. डॉ. रामशंकर कठेरिया :
श्री नायब सिंह सैनी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों को देश में उनके आगमण पर आधार कार्ड जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) आधार कार्ड जारी करने के लिए तत्काल पहचान पत्र के रूप में कौन से दस्तावेजों को वैध और अनिवार्य माना जाता है; और

(घ) उक्त सुविधा के माध्यम से अभी तक ऐसे कितने व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी किए गए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख): भारत सरकार ने दिनांक 20.09.2020 को जारी अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया है कि "भारत आने के बाद एक अनिवासी भारतीय आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा"।

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में दिनांक 23.09.2019 के परिपत्र के जरिए अनिवासी भारतीयों के आधार नामांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और एनआरआई के संबंध में आधार नामांकन/ अद्यतन के संबंध में दिशानिर्देश 04.11.2019 को जारी किए गए थे।

(ग): अनिवासी भारतीयों के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट को पहचान दस्तावेज के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। नामांकन/अद्यतन के समय केवल भारतीय पता दर्ज किया जाएगा। दिनांक 05.09.2019 की अधिसूचना के अनुसार निवासियों के पास उपलब्ध कोई भी प्रूफ़ ऑफ़ एड्रैस (पीओए) या जन्म तिथि (डीओबी) दस्तावेज का कोई भी वैध प्रमाण एनआरआई पर भी लागू होगा।

यूआईडीएआई डेटा सेंटर में गुणवत्ता जांच, पैकेट सत्यापन, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन आदि जैसी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आधार नंबर तैयार होता है और व्यक्ति को जारी किया जाता है।

(घ): अब तक, एनआरआई नामांकन के लिए 15,782 आधार संख्या तैयार की जा चुकी हैं।

*** ***